तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज छोटाराम बनाम लो.सू.अ. (उपखण्ड अधिकारी जोधपुर) सू.अ.अ. अपील संख्या 27/2018	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21.03.18	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी छोटाराम पुत्र भोमाराम मुख्य आरक्षक, कार्यालय महानिरीक्षक पुलिस जोधपुर रेंज, कचहरी परिसर जोधपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 04.01.18 में उसके द्वारा (1) न्यायालय (उपखण्ड मजिस्ट्रेट जोधपुर/सहायक जिलाधीश जोधपुर)के समक्ष वर्ष 2003 से 2005 के दौरान अन्तर्गत नियम 20 नियम 6 एवं धारा 151 सी.पी.सी. डिक्री पर्चा तैयार करने हेतु पेश किये प्रार्थना–/वाद की सूची, जिसमें इनके पेश होने की तारीख, संबंधित वादी प्रतिवादी का विवरण व इनकी निर्णय तारीख का उल्लेख हो व अन्य बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी जोधपुर) को प्रेषित किया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (उपखण्ड अधिकारी जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (उपखण्ड अधिकारी जोधपुर) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी जोधपुर) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना विधिक प्रावधानों के अधीन रहते हुए प्रार्थी को 15 दिवस में प्रमाणित सूचना उपलब्ध करावे, अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	